राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/17/5763 जयपुर दिनांक: 07/03/17

आदेश

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 230, 232 व 233 में निम्न प्रावधान है:–

230. Duty of owners and occupiers of premises to store solid wastes at source of generation.- It shall be the duty of the owners and the occupiers of all lands and buildings in the municipal area-

(a) to have the premises swept and cleaned on a regular basis,

(b) to provide for separate receptacles or disposal bags for the storage of-

(i) Organic and bio-degradable wastes,

(ii) Recyclable or non-bio-degradable wastes, and

(iii) Domestic hazardous wastes, so as to ensure that these different types of wastes do not get mixed,

(c) to keep such receptacles in good condition and order, and

(d) to cause all such wastes, including rubbish,offensive matter, filth, trade refuse, carcasses of dead animals, bio-medical wastes and other polluted and obnoxious matters to be collected from their respective premises and to be deposited in community bins or receptacles at such times and in such places as the Chief Municipal Officer may, by notice, specify.

232. Prohibitions.- No person and no owner or occupier ofany land or building shall-

(a) litter or deposit at any public place any solid waste,

(b) deposit building rubbish in or along any public street, public place or open land,

(c) allow any filthy matter to flow on public places, or

(d) deposit or otherwise dispose of the carcass or any part of any dead animal at a place not provided or appointed for such purpose.

233. Punishment for littering on streets and depositing or throwing any solid waste.- Whoever litters any street or public place or deposits or throws or causes or permits to be deposited or thrown any solid waste or building rubbish at any place in contravention of the provisions of this Act, or permits the flow of any filthy matter from his premises, shall be liable to pay a penalty not exceeding five hundred rupees on the spot to be imposed by an officer authorized by the Municipality in this behalf.

उपरोक्त प्रावधानो की अक्षरक्षः पालना नहीं होने के कारण शहर की स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है। प्रायः यह देखने में आया है कि आवासीय/व्यापारिक प्रतिष्ठान/केबिन होल्डर/ठेले वाले/डेयरी बूथ के आस–पास हमेशा गन्दगी दिखाई देती है तथा उक्त प्रतिष्ठान डस्टबिन या कचरा पात्र का उपयोग नहीं करते हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 230 में समस्त भूमि एवं भवनो के स्वामियो एवं अधिवासियो का कर्तव्य निर्धारित किया हुआ है कि वे स्वयं के परिसर में सफाई करवाकर कूडाकरकट के भण्डारण के निस्तारण के लिये डस्टबिन का प्रयोग करेगे तथा उक्त कूडाकरकट कचरे को नगर

पालिका के सामुदायिक कन्टेनर/निर्धारित स्थान पर डलवायेगे। उक्त भवन स्वामी/अधिभोगी द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यवाही नहीं करने पर अधिनियम की धारा 233 के अन्तर्गत 500 रूपये प्रतिदिन शास्ति अधिरोपित करने के अधिकार इस निमित प्राधिकृत अधिकारी को प्रदत्त है।

जिन आवासीय/व्यापारिक प्रतिष्ठान/केबिन होल्डर/ठेले वाले/डेयरी बूथ द्वारा डस्टबिन/कचरापात्र नहीं रखा जाता है उनके विरूद्ध धारा 233 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे। डस्टबिन/कचरापात्र रखवाने हेतु उक्त प्रतिष्ठान को बाध्य करने की कार्यवाही की जावे।

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 337 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्द्वारा अधिनियम, 2009 की धारा 230, 232 व 233 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कार्यवाही करने हेतु निम्नांकित अधिकारियों को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त करती है:–

1. मुख्य नगर पालिका अधिकारी
2. समस्त उपायुक्त नगर निगम
3. स्वास्थ्य अधिकारी (एम.बी.बी.एस.)
4. सहायक अभियन्ता (सोलिड वेस्ट)
5. राजस्व अधिकारी
6. मुख्य सफाई निरीक्षक
7. सफाई निरीक्षक

मुख्य नगर पालिका अधिकारी उपरोक्त अधिकारियो को साप्ताहिक न्युनतम लक्ष्य निर्धारित करेगे तथा शहर की सफाई व्यवस्था की मॉनिटरिंग करेगे। सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं होने के संबंध में प्राप्त शिकायतो का तत्काल निस्तारण किया जावे तथा जिन अधिकारियों द्वारा सूचारू रूप से कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया जावे उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पवन अरोडा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/17/5764–6156 जयपुर दिनांक: 07/3/17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

01. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय,स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
03. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राज0।
04. आयुक्त/उपायुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राजसथान।
05. उप निदेशक (क्षेत्रीय), समस्त राजस्थान।
06. सीएमएआर निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु।
07. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध करवाने हेतु।
08. सुरक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी